रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 251] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 1971/चैत्र 11, 1893

No. 251] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 1971/CHAITRA 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

SURTAX

New Delhi, the 31st March 1971

S.O. 1490.—In pursuance of clause (v) of rule 1 of the Second Schedule to the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby notifies the following financial institution for the purposes of the said clause in respect of the assessment year commencing on and from the 1st day of April, 1971 and any subsequent assessment year, namely:—

The Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi.

[No. 107/147(4)71-TPL.]

R. N. MUTTOO, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

अतिकर

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1971

का० आ० 1490.—कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की द्वितीय अनुसूची के नियम 1 के खण्ड (V) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अप्रैल, 1971 के प्रथम दिन को और से प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष और किसी पश्चात्वर्ती वर्ष की बाबत उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित वित्तीय संस्था को अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

दि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली ।

[सं० 107/147 (4)/71—टी पी एल]

आर० एम० मुट्टू, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971